न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमराणा, अलवर

पीठासीन अधिकारी : नितिशा, R.J.S.

सीआईएस एनआई एक्ट प्रकरण सं. : 337/2021

फौजदारी प्रकरण सं. : 23/57/2021

सतपाल पुत्र लखन सिंह, निवासी चावण्डी, तहसील नीमराणा, जिला अलवर, राज.।

— अभियोगी/परिवादी

बनाम

मुकेश राजपूत पुत्र रामसिंह, निवासी बी 505 ग्रीन एकड़ आशादीप, नीमराणा, तहसील नीमराणा, जिला अलवर, राज.।

— अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा—138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

उपस्थित—

1. श्री हंसराज यादव : विद्वान अधिवक्ता अभियोगी/परिवादी
2. श्री महेन्द्र भारद्वाज : विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 21.12.2024

प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी सतपाल द्वारा न्यायालय में दिनांक 04.08.2021 को अभियुक्त मुकेश राजपूत के विरूद्व एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 इस आशय का पेश किया कि —

'' अभियुक्त परिवादी के पास आया व कुछ रूपयों की मदद करने का आग्रह किया जिस पर परिवादी ने आपसी बैठा—उठ को देखते हुये दिनांक 15.11.2020 को अभियुक्त को 5 लाख रूपए नगद मौजिजा व्यक्तियों की उपस्थिति में दिये जिस पर अभियुक्त ने 7 माह में वापिस लौटाने का वादा

करते हुये रूपये प्राप्त कर लिये। जब 7 माह बाद परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिये हुये उधार पैसे लौआने के लिये कहा तो अभियुक्त ने कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं है आप एक दो रोज बाद आना जिस पर परिवादी 15 दिन बाद में अभियुक्त के पास गया तो उसने खाता 100051427808 इण्डसण्ड बैंक शाखा नीमराणा का चैक सं. 427677 राशि 5,00,000 रूपए दिनांक 22.06.2021 का भरकर अपने हस्ताक्षर कर यह कहते हुए दिया कि उक्त चैक को नियत समय पर बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक की राशि का भुगतान हर सूरत में परिवादी को हो जायेगा जिस पर परिवादी ने अभियुक्त पर विश्वास करते हुए उक्त चैक प्राप्त कर लिया। परिवादी ने उक्त चैक को भुगतान के लिए दिनांक 28.06.2021 को अपने स्वयं के खाते कोटक महिन्द्रा बैंक शाखा नीमराणा में स्थित अपने खाता सं.–9011628968 में जमा करवाया तो अभियुक्त के खाताधारक बैंक द्वारा फण्डस इन्सफिसियेट का आक्षेप लगाकर जरिये रिटर्निंग मीमो उक्त चैक अनादरित कर परिवादी को उसकी खाताधारक बैंक के माध्यम से वापस दिनांक 30.06.2021 को लौटा दिया। जिस पर परिवादी ने अभियुक्त से संपर्क किया व चैक के अनादरित होने के बारे में बताया, लेकिन अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत अभियुक्त को दिनांक 16.07.2021 को 15 दिवस का विधिक नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित करवाया। लेकिन अभियुक्त ने नोटिस अवधि तक भी परिवादी को चैक राशि का भुगतान नहीं किया। न्यायालय को परिवाद पत्र पर श्रवणाधिकार प्राप्त होने के तथ्य अंकित करते हुए परिवाद स्वीकार कर अभियुक्त को निर्धारित सजा से दण्डित किये जाने एवं चैक राशि से दुगनी राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

दिनांक 18.08.2021 को अभियुक्त के विरूद्व धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रसंज्ञान लिया गया और दिनांक 16.10.2024 को अभियुक्त को उक्त अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्य परिवादी में परिवादी सतपाल की ओर से स्वयं का

शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ एवं दस्तावेजात प्रदर्श पी.1 असल चैक, प्रदर्श पी.2 रिटर्न मीमो, प्रदर्श पी.3 विधिक नोटिस, प्रदर्श पी.4 पोस्टल रसीद को प्रदर्शित करवाया गया। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य परिवादी बंद की गई तथा पत्रावली बयान मुलजिम हेतु नियत की गई।

अभियुक्त के धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत कथन लेखबद्व किये गये तो अभियुक्त ने अपने विरूद्व आई साक्ष्य को गलत होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा जाहिर किया कि– '' मैं निर्दोष हूं, मुझे झूठा फंसाया गया है''। साक्ष्य सफाई में अभियुक्त ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह डी.ड.1 रूप में परीक्षित कराया तथा दस्तावेज प्रदर्श एनए–01 संपूर्ण इस्तगासा की प्रति को प्रदर्शित कराया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में सारतः तर्क दिया है कि परिवादी ने प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किया है। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधि अनुसार दण्ड से दण्डित करने तथा चैक राशि मय ब्याज, मय पैनल्टी दिलाये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि परिवादी अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम को अपनी साक्ष्य के माध्यम से सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त द्वारा उक्त चैक सिक्योरिटी बाबत दिया था, जिसका मिसयूज किया गया है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घ ोषित किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है –

(1)– क्या अभियुक्त ने अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे परिवादी को एक चैक संख्या 427677 दिनांक 22.06.2021 राशि 5,00,000/ रूपये का इण्डसण्ड बैंक शाखा नीमराणा, जो परिवादी द्वारा अपने बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर Fund Insufficient के पृष्ठांकन के साथ बिना भुगतान किये लौटा दिया, जिस पर परिवादी ने विहित समयावधि में अभियुक्त को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, लेकिन अभियुक्त ने विहित समयावधि में चैक राशि का भुगतान नहीं किया?

(2)– यदि हॉ तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या है?

विचारणीय प्रश्न की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा चैक अभियुक्त के बैंक खाते का होने, चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने, चैक को वैधता अवधि के दौरान समाशोधन हेतु प्रस्तुत करने, Fund Insufficient के रिमार्क से अनादरित हो जाने के तथ्यों को विवादित नहीं किया है। अतः उक्त तथ्यों की हद तक पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन सुसंगत नहीं रह जाता है।

आगे पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो विचारणीय प्रश्न के बाबत न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम निम्न बिन्दुओं के संबंध में साक्ष्य का विवेचन किया जाना आवश्यक है –

क– क्या परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन हुआ है?

माननीय उच्चतम् न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त **मुकेश सिंह बनाम राज्य, स्वापक ब्यूरों देहली 2020 एस.सी. सी. ऑनलाईन पेज 700** में यह मार्गदर्शन प्रदान किया है कि परिवादी द्वारा उपधारणा के सृजन हेतु प्रारंभिक आधार तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो प्रकरण में विवादित चैक संख्या 427677 दिनांक 22.06.2021 राशि 5,00,000/– रूपये के इण्डसण्ड बैंक का है जो वैधता अवधि के दौरान बैंक में प्रस्तुत किये गया

है। अभियुक्त के बैंक द्वारा उक्त चैक Fund Insufficient के रिमार्क से अनादरित कर दिया गया है। उक्त तथ्य अनादरण मीमो प्रदर्श पी. 2 से प्रकट है। परिवादी द्वारा चैक अनादरण की सूचना प्राप्त होने के अंदर मियाद 30 दिवस अभियुक्त को चैक अनादरण की सूचना देने एवं चैक राशि की मांग करने के लिए विधिक सूचना पत्र दिनांक 16.07.2021 को प्रेषित किया जो पोस्टल रसीद प्रदर्श पी. 4 से समर्थित है। अधिनियम की धारा 138 से संबंधित समस्त प्राथमिक शर्तों को पूरा करने के उपरान्त परिवाद हेतुक उत्पन्न होने पर दिनांक 04.08.2021 को उक्त परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना प्रकट है। इस प्रकार परिवादी की ओर से उपधारणा के सृजन के संबंध में आवश्यक प्राथमिक तथ्यों को स्थापित किया गया है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स कालामनी एवं अन्य बनाम पी बाला सुब्रह्मण्यम निर्णय दिनांक 10.01.2021** में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार अभियुक्त द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिये जाते हैं तो विचारण न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जानी चाहिए कि चैक विधितः प्रवर्तनीय प्रतिफली हेतु जारी किया गया है। भले ही चैक मात्र हस्ताक्षर करके खाली जारी किया गया हो।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षर विवादित नहीं किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अनुसरण में यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक प्रदर्श पी. 1 प्रतिफलार्थ ही रचा या लिखा गया था। इसी प्रकार परिवादी द्वारा उपधारणा के सृजन बाबत प्राथमिक तथ्यों को स्थापित करने एवं अभियुक्त द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लेने से परिवादी के पक्ष में अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का सृजन हुआ है।

ख— क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है?

इस संबंध में परिवादी की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों को पुनरावृत्ति की है तथा दस्तावेज प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.4 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये हैं। परिवादी सतपाल द्वारा दौराने जिरह कथन किया गया है

कि यह कहना गलत है कि उसने मुकेश के खिलाफ कोई विधिक नोटिस नहीं भिजवाया हो। यह कहना गलत है कि मुकेश द्वारा उसके भाई कर्मपाल के पास रखे हुए बतौर सिक्योरिटी के चैक का दुरुपयोग करते हुए उसने यह झूठे चैक भरकर पेश किये हो। वह मुकेश पर विश्वास करता था इसलिए एक बार पैसा दे दिया जिसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और फिर दूसरी व तीसरी बार पैसा दे दिया उसका भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ। यह कहना गलत है कि उसने मुकेश को कोई पैसे नहीं दिये हो और झूठा मुकदमा किया हो।

अभियुक्त द्वारा धारा 313 द.प्र.सं. के तहत बयान मुलजिम में यह कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई में स्वयं को न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह परीक्षित कराया गया है। अभियुक्त ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया कि सन् 2014 से पूर्व तक वह और परिवाद कर्मपाल सिंह प्रोपर्टी का काम करते थे। कर्मपाल सिंह ने उससे कहा कि देखो रूपये का मामला है आदमी की कभी भी नियत डिग सकती है इसलिए अपने कुछ बलैंक चैक हस्ताक्षर कर बतौर सिक्योरिटी रख दो। वह कर्मपाल सिंह का पूरा विश्वास करता था तो उनके पास बतौर सिक्योरिटी अपने चैक जिनमें तीन चैक इंडसंड बैंक शाखा नीमराणा व तीन चैक एक्सिस बैंक शाखा नीमराणा के थे जो कर्मपाल सिंह ने अपने ऑफिस रखे थे। उसने सतपाल के साथ कभी कोई लेन–दने का व्यवहार नहीं किया व ना ही सतपाल से कोई सबंध रहा। उसने जो बतौर सिक्योरिटी चैक कर्मपाल को दिये थे। कर्मपाल के अटैक आने के बाद वो ब्लैंक चैक व अन्य सभी दस्तावेज सतपाल के हाथ लग गये जिसने 3–4 चैक मन में चाही राशि भरकर बैंक में लगाकर बाउंस करा लिये और झूठे दावे पेश कर दिये। इस्तगासा दायरी से पुलिस द्वारा उसकी तामील करने तक उसे उसके खिलाफ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन चार इस्तगासों बाबत कोई जानकारी नहीं दी साथ ही बैंक से चैक बाउंस होने बाबत भी नोटिस उसे नहीं भिजवाकर किसी गलत पते पर भिजवाकर तामील करना इस्तगासा में अंकित किया, जबकि परिवादी ने जानबूझकर उसे नोटिस नहीं

भिजवाया। क्योंकि परिवादी कर्मपालसिंह का भाई सतपाल जानता था कि यदि पैसे की मांग का नोटिस मुकेश सिंह के पास पहुंच जायेगा तो सारे मामले का खण्डन हो जायेगा। अभियुक्त ने दौराने जिरह कथन किया कि वह सतपाल को जानता है। उसकी इसके भाई से अच्छी उठा–बैइ है सतपाल से नहीं है। वह सतपाल को 5–6 सालों से जानता है। प्रदर्श पी–01 उसके अकाउंट का है। प्रदर्श पी–01 पर ए से बी हस्ताक्षर स्वयं उसके है। प्रदर्श पी–03 पर ए से बी हस्ताक्षर उसके स्वयं के है। उसका लेना–देना कर्मपाल से है वह 2014 से पहले प्रोपर्टी का काम करते थे।

इस संदर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त **Sumeti vij Vs M/s Paramount Tech fab. Industries निर्णय दिनांक 09.03.2021** में निम्न मार्गदर्शन प्रदान किया है **"In the instant case, the appellant has only recorded her statement under Section 313 of the Code, and has not adduced any evidence to rebut the presumption that the cheques were issued for consideration. Once the facts came on record remained unrebutted and supported with the evidence on record with no substantive evidence of defence of the appellant to explain the incriminating circumstances appearing in the complaint against her, no error has been committed by the High Court in the impugned judgment, and the appellant has been rightiy convicted for the offence punishable under Section 138 of the Act and needs no interference of this Court.**

That apart, when the complainant exhibited all these documents in support of his complaints and recorded the statement of three witnesses in support thereof, the appellent has recorded her statement under Section 313 of the Code, but failed to record evidence to disprove or rebut the presumption in support of her defence available under Section 139 of the Act. The statement of the accused recorded under Section 313 of the Code is not a substantive evidence of defence, but only an opportunity to the accused to explain the incriminating circumstances appearing in the prosecution case of the accused. Therefore, there is no evidence to rebut the presumption that the cheques were issued for consideration"

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धांत के मार्गदर्शन के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि जो कथन अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 313 द.प्र.सं. में किये जाये उन्हें स्थापित करने हेतु तथा अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा का खण्डन करने हेतु अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई में परिवादी की साक्ष्य का खण्डन करने हेतु कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया गया। इसलिए मात्र बयान मुलजिम व बयानों में किये गये कथनों के आधार पर उसको कोई प्रतिरक्षा प्राप्त नहीं होती। जहां तक चैक सिक्योरिटी बाबत दिए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **SUPREME COURT OF INDIA CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION CRIMINAL APPEAL NOS. 1269-1270 OF 2021 (Arising out of SLP(Criminal) No. 252-253/2020) Sripati Singh (since deceased) Versus The state of jharkhand & Anr.** में यह प्रतिपादित किया गया है कि चैक बैंक में लगाते समय अभियुक्त की विधिक देनदारी हो तो सिक्योरिटी पेटे दिया गया चैक अनादरित होने से भी धारा 138 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अभियुक्त धारा 139 की उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहता है।

हालांकि अभियुक्त ने परिवादी से प्रतिपरीक्षण किया है परंतु अभियुक्त प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी.4 दस्तावेजों का खंडन नहीं कर पाया है तथा परिवादी की साक्ष्य पत्रावली पर पूर्णरूपेण अखण्डित रही है।

परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि अभियुक्त के द्वारा हस्तगत चैक के संबंध में किसी प्रकार की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, जो यह साबित करती हो कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि का भुगतान अंशतः अथवा पूर्णतः कर दिया गया हो।

इस प्रकार अभियुक्त ने किसी भी सुदृढ़ मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से उपरोक्त उपधारणाओं को खण्डित नहीं किया

है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त उपधारणाएं पूर्ण रूप से अखंण्डित रही हैं। अतः परिवादी के बयानों तथा परिवादी के पक्ष में की गई उपरोक्त उपधारणाओं से यह तथ्य न्यायालय के समक्ष निर्विवाद रूप से साबित हो जाता है कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी को किसी वैध ऋण या अन्य दायित्व के भुगतान स्वरूप दिया गया था।

समस्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि परिवादी विचारणीय प्रश्न के संबंध में आरोपित अपराध अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्त को आरोपित अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के लिए दोषसिद्ध किया जाना न्याय संगत प्रकट होता है।

— आ दे श —

परिणामतः अभियुक्त **मुकेश राजपूत पुत्र रामसिंह, निवासी बी 505 ग्रीन एकड़ आशादीप, नीमराणा, तहसील नीमराणा, जिला अलवर, राज.** को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोपित अपराध में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

(नितिशा)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमराणा, अलवर

सजा का बिन्दू –

सजा के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा है कि आरोपित अपराध सम्मन मामला है। अभियुक्त लंबे समय से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है एवं निर्धन व्यक्ति है। पूर्व में किसी भी तरह का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं रहा है। अतः उक्त आधारों पर परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए

अभियुक्त को विधि अनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का दण्ड के प्रश्न पर पुनः ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में परक्राम्य लिखत संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से संशोधन किया जाकर चैक अनादरण के कृत्य को अपराध बनाया गया है। उक्त संशोधन की प्रस्तावना में इसके उद्देश्य एवं कारणों की व्याख्या करते हुए यह अंकित किया गया है कि चैक की सस्वीकार्यता एवं विश्वसनीयता बढाने एवं चैक अनादरण के अपराध के लिए दण्ड का प्रावधान करने के प्रयोजन से उपर्युक्त उपबंध विधि में जोडे गए हैं। इसके पश्चात् पुनः परक्राम्य लिखत संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से चैक अनादरण के अपराध के लिए सजा को बढाकर एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। इतना सब होते हुए भी देश में चैक अनादरण के प्रकरणों में बढ़ोतरी हो रही है। चैक अनादरण के अपराध ने समाज व देश की अर्थव्यवस्था को भी विपरीत रूप से प्रभाति किया है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन दोषसिद्धि पर परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रकट नहीं होता है।

(नितिशा)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमराणा, अलवर

—:: दण्डादेश ::—

परिणामतः अभियुक्त **मुकेश राजपूत पुत्र रामसिंह, निवासी बी 505 ग्रीन एकड़ आशादीप, नीमराणा, तहसील नीमराणा, जिला अलवर, राज.** को चैक संख्या 427677 दिनांक 22.06.2021 राशि 5,00,000/— के इण्डसण्ड बैंक शाखा नीमराणा के अनादरण के अपराध के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्धी पर **एक वर्ष के साधारण**

कारावास से दण्डित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त धारा 357 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार **राशि 6,50,000 /– रूपये अक्षरे छः लाख पचास हजार रूपये** बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा करें। अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त **एक माह का साधारण कारावास** अतिरिक्त भुगतेगा। प्रतिकर की राशि अभियुक्त से जुर्माने के रूप में वसूली योग्य होगी।

अभियुक्त का सजा वारण्ट बनाया जाए, जिस पर अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में भुगती गई न्यायिक अभिरक्षा की अवधि यदि हो तो, की गणना कर उक्त अवधि संहिता की धारा 428 के तहत मूल सजा से मुजरा किए जाने का नोट अंकित किया जाये। अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

अभियुक्त की ओर से अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत धारा 437 ए दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 के तहत 10,000–10,000 के जमानत मुचलके पेश किए जाए, जो इस निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

(नितिशा)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमराणा, अलवर

निर्णय, आज दिनांक **21.12.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नितिशा)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीमराणा, अलवर